भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1901

14.03.2022 को उत्तर के लिए

वनों के दोहन पर नियंत्रण

1901. श्री सुनील कुमार मंडल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान वन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में वनों के दोहन को रोकने के लिए कूड़ा-करकट और प्रदूषण, खारे दलदल को रोक कर और जल निकासी के माध्यम से भूमि को वापस प्राप्त करने आदि जैसे कदम उठाए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सुंदरबन के विकास के लिए आवंटित/जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भविष्य में क्या पहल की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) भारत सरकार, अपशिष्ट के निपटान, प्रदूषण नियंत्रण और भूमि सुधार से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों सहित वन संरक्षण और पर्यावरणीय सुरक्षा के संबंध में विभिन्न उपाय कर रही है।

सुंदरबन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों नामत: - बाघ परियोजना (सीएसएस-पीटी) और वन्यजीव पर्यावासों का विकास (सीएसएस-डीडब्ल्यूएच) के तहत आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021-22 में, सुंदरबन के लिए सीएसएस-पीटी के तहत 384.41 लाख रूपए की धनराशि और सीएसएस-डीडब्ल्यूएच के तहत 198.89105 लाख रूपए का सहायता अनुदान जारी किया गया था।

केंद्रीय और राज्यीय निधियों की उपलब्धता के आधार पर, सुंदरबन प्राधिकारियों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों (पीए) के संरक्षण और प्रबंधन, विलुप्तप्राय प्रजातियों का संवर्धन, मानव-पशु संघर्ष को कम करने, वन्य पशुओं के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र सृजित करने हेतु परिवारों के स्वैच्छिक विस्थापन, बेहतर पारि-प्रणाली और जीन पूल के लिए एक स्रोत के रूप में संग्रहण केंद्र तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

****